



रजिस्ट्रीकरण वातं नगांवा विभाग

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

(1)

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	पंजीयन प्रमाणपत्र संख्या
पंजीकरण की तिथि	MP179132017A1244714
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	15/05/2017
संपति का मूल्य(यदि लागू है)	16/05/2017
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	3179221
पंजीयन शुल्क (रुपये)	3847500
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	30780
उप पंजीयक का नाम	DUSHYANT DIKSHIT
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इंदौर 2

विक्रेता - स्वयं


संगठन का नाम मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड
अधिकृत व्यक्ति का नाम श्री कैलाशसिंह रघुवंशी
पता 106/ एफ.एच., योजना क्रमांक 54, इंदौर (म.प्र.), इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

खरीदार- स्वयं

नाम दीपक लीलानी
पिता/पति का नाम श्री दर्शन लीलानी
पता 124, त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेंशन, माणिक बाग रोड, इंदौर (म.प्र.), इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत


उप पंजीयक के हस्ताक्षर

Digitally signed
by DIXIT
DUSHYANT
Date: 2017.05.16
11:50:49 IST





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड
ई स्टाम्प राशि (रुपए)
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)
जनपद ड्यूटी (रुपए)
छूट दी गई राशि (रुपए)

ई स्टाम्प का प्रकार
निर्गमन तिथि एवं समय
यूजर आईडी / जारीकर्ता
एस पी / एस आर ओ /
डी आर ओ / एच ओ विवरण

01011715052017004778

327038

192375

38475

0

गैर न्यायिक

15/05/2017 13:44:36

Latit Kumar Barjatyा/SP011743106201500877

101 Man Heritage 6/2 South Tukoganj इंदौर इंदौर

नगर पालिका ड्यूटी (रुपए) 76950

उपकर राशि (रुपए) 19238

विलेख का प्रकार
लिखत

उद्देश्य

संगठन का नाम

पता

व्यक्तियों की संख्या

नाम

पता

व्यक्तियों की संख्या

डीड विवरण

हस्तांतरण-पत्र

हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है।- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य या उसमें उपर्युक्त प्रतिफल की रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, का पांच प्रतिशत।

हस्तांतरण-पत्र

पहले पक्ष के विवरण

मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड

106/ एफ.एच., योजना क्रमांक 54, इंदौर (म.प्र.)

1



दूसरे पक्ष के विवरण

दीपक लीलानी

124, त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेंशन, माणिक बाग रोड, इंदौर (म.प्र.)

1

॥ श्री ॥।।।।। विक्रय विलेख ।।।।। प्रकोष्ठ/ऑफिस क्रमांक 803(आठ सौ तीन) "शेखर सेन्ट्रल" प्लाट क्र.4 एवं 5 (ब्लाक, प्लाट क्र.1 ऐकि भाग), मनोरमांगज, ए.बी.रोड इंदौर का विक्रय विलेख विक्रय मूल्य रूपये 38,47,500/-





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

॥ श्री ॥

॥ विक्रय विलेख ॥

प्रकोष्ठ/ऑफिस क्रमांक 803(आठ सौ तीन) "शेखर सेन्ट्रल"

प्लाट क्र.4 एवं 5 (ब्लाक, प्लाट क्र.1 पैकि भाग), मनोरमांगंज, ए.बी.रोड इंदौर का विक्रय विलेख
विक्रय मूल्य रूपये 38,47,500/-

विक्रेतापक्ष:-

मेसर्स चरणशीला एडवाइजरी प्रायवेट लिमिटेड,(PAN: AACCC4291J)

(पंजीयन क्र. U74140WB2004PTC 098272 DT.06.04.2004)

पंजीकृत कार्यालय 72/2,SARAT BOSE ROAD,OPP.LANS DOWN MARKET,
KOLKATA-700025(W.B.)

तर्फे अधिकृत डायरेक्टर-

श्री कैलाशसिंह रघुवंशी पिता श्री जुगराजसिंह जी रघुवंशी,

(PAN : ABFPR0382J)

निवासी 106 / एफ.एच., योजना क्रमांक 54, इंदौर (म.प्र.)

क्रेतापक्ष :-


श्री दीपक लीलानी पिता श्री दर्शन लीलानी,

(PAN: AFAPL5114P)

निवासी 124, त्रिवेणी कॉलोनी एक्सटेंशन, माणिक बाग रोड, इंदौर (म.प्र.)

यह विक्रय विलेख विक्रेतापक्ष के व्यारा आप क्रेतापक्ष के हित में निष्पादित कर पंजीयत कराया जाता है, ऐसा कि:-

1. यह कि, विक्रेतापक्ष के स्वामित्व, आधिपत्य एवं लीज अधिकारों की तथा कलीयर टाईटल की अचल सम्पत्ति प्लाट क्र.4 एवं 5 (ब्लाक, प्लाट क्रमांक 1 पैकि भाग), मनोरमांगंज, ए.बी.रोड, इंदौर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 64521 वर्गफीट अर्थात् 5996.37 वर्गमीटर है। विक्रेतापक्ष ने उक्त सम्पत्ति 1. श्री देबाशीष डे पिता स्व. श्री संतोष कुमार डे स्वयं एवं बहैसियत आम मुख्त्यार 2. श्रीमती शर्मिला डे पिता स्व. श्री संतोष कुमार डे 3. सुश्री पूर्णिमा डे पिता स्व. श्री संतोष कुमार डे, निवासी 24/2, मनोरमांगंज, इंदौर से बजर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र नोंद क्रमांक 1अ/6116(ग) दिनांक 23/2/2007 के व्यारा विधिवत् रूप से क्रय की गई है तथा पश्चात विधिवत् रूप से लीज नामांतरण अनुबंध लेख विक्रेतापक्ष एवं लीजदाता नगर पालिक निगम, इंदौर के अधिकृत प्रतिनिधि नगर शिल्पिज तर्फे आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर के मध्य निष्पादित एवं पंजीकृत हुआ है, जिसका रजिस्टर्ड दस्तावेज नोंद क्रमांक 1अ/2864(क्षेत्र क्र.9) दिनांक 20-फरवरी-2008 है।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

दस्तिक में : प्रकोष्ठ क्रमांक 802

3. यह कि, उक्त चरण 2 में वर्णित प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को सम्पूर्ण मालकी हक, स्वत्व, एवं अधिकारों सहित कुल कीमत रूपये 38,47,500/- (अक्षरी रूपये अड़तीस लाख सैतालिस हजार पांच सौ केवल) में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से निश्चानुसार प्राप्त कर ली है:-

रूपये 5,00,000/- (अक्षरी रूपये पांच लाख केवल) बजर्ये चेक क्र. 728628 दिनांक 18/04/2017 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त।

रूपये 33,47,500/- (अक्षरी रूपये तेतीस लाख सैतालिस हजार पांच सौ केवल) बजर्ये चेक क्र. 728635 दिनांक 11/05/2017 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त।

(कुल रूपये 38,47,500/- (अक्षरी रूपये अड़तीस लाख सैतालिस हजार पांच सौ केवल))

अब इस विक्रय व्यवहार एवं प्रतिफल बाबट् कोई धनराशि लेना बकाया नहीं रही है।

4. यह कि, उपरोक्त चरण क्रमांक 2 में वर्णित प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को विक्रय रीति से एंव प्रतिफल के फलस्वरूप विक्रय करके अन्तरित कर दिया है तथा सदर प्रकोष्ठ का रिक्त एवं मूर्तिमंत आधिपत्य विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सौंप दिया है एंव क्रेतापक्ष ने आधिपत्य प्राप्त कर लिया है।


5. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष के द्वारा आप क्रेतापक्ष को विक्रय कर देने से इसके स्वामित्व बाबट् विक्रेतापक्ष एवं उनके हितग्राहियों में निहित समस्त स्वत्व, हक, अधिकार इस विक्रय विलेख के द्वारा अन्तरित होकर आप क्रेतापक्ष में वैष्ठित हो गये हैं। अब आप क्रेतापक्ष उक्त सम्पत्ति के स्वामी एंव आधिपत्यधारी हो गये हैं। उक्त सम्पत्ति को स्वेच्छानुसार उपयोग, उपभोग व अन्त्रण आप क्रेतापक्ष करेंगे, जिसमें विक्रेतापक्ष या उनके वारिसान को कोई उजर या आपत्ति नहीं रहेगी।

6. यह कि, विक्रेतापक्ष एतद द्वारा घोषित करते हैं कि आप क्रेतापक्ष को विक्रय किया गया प्रकोष्ठ समस्त प्रकार के भार, बोझ व अन्तरण से मुक्त होकर ऐसे किसी भी अन्तरण के लिये विक्रेतापक्ष द्वारा कोई लिखतम आदि का निष्पादन भी नहीं किया है तथा विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबट् किसी भी प्रकार का पारिवारिक या कानूनी विवाद आदि वर्तमान में किसी भी न्यायालय के समक्ष विचारोधीन नहीं है। उक्त सम्पत्ति सम्पूर्ण रूप से भार मुक्त है।

7. यह कि, उक्त अन्तरण से मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है।

8. यह कि, आप क्रेतापक्ष को इस भवन के कामन पेसेज, चढाव, पार्किंग स्थल, उपकरणों व यंत्रों, ट्यूबवेल आदि के उपयोग, उपभोग करने के अधिकार इस भवन के अन्य प्रकोष्ठ स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से रहें। आप क्रेतापक्ष के द्वारा उक्त सुख सुविधाओं पर ऐसा कोई कभी अतिक्रमण अथवा व्यवहार नहीं किया जावेगा जिससे कि उक्त प्रकोष्ठ स्वामियों को असुविधा हो व उनके अधिकारों को बाधा उत्पन्न होती है।

9. यह कि, आप क्रेतापक्ष इस बिक्रीत प्रकोष्ठ के कालम, बीम, छत व पार्टीशन वाल में ऐसा कोई



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

एडीशन, आलट्रेशन या नवनिर्माण नहीं कर सकेंगे, जिससे की भवन की दृढ़ता एवं सुन्दरता को, पर व नीचे के प्रकोष्ठ स्वामियों को असुविधा हो एवं उनके अधिकारों को क्षति पहुँचती हो। यदि आप क्रेतापक्ष की ओर से ऐसा कोई कार्य किया जाना सिद्ध पाया गया तो उसकी नुकसानी एवं क्षतिपूर्ति का दायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा।

10. यह कि, आप क्रेतापक्ष बिक्रीत प्रकोष्ठ के लिये ऐसार्थिक दुर्घटना व आग आदि से सुरक्षा के लिये अपने व्यय से बीमा करवा सकेंगे एवं प्राकृतिक कारणों से भविष्य में भवन धराशायी होने की दशा में आप क्रेतापक्ष को निश्चित क्षेत्रफल एवं बिक्रीत स्थान पर निर्माण का अधिकार प्रदलित नियमानुसार रहेगा।

11. यह कि, भवन की अंतिम मंजिल की छत का एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य विक्रेतापक्ष का रहेगा, जिसमें अतिरिक्त निर्माण की अनुमति मिलने पर इस पर निर्माण कर विक्रय करने का अधिकार विक्रेतापक्ष का है। सदर भवन की अंतिम छत पर टॉवर एवं विजापन होडिंग्स लगाने का एवं किराया प्राप्त करने का अधिकार विक्रेतापक्ष को है।


12. यह कि, 'शेखर सेन्ट्रल' SHEKHAR CENTRAL हाईराईज भवन के सम्पूर्ण मेन्टेनेंस हेतु विक्रेतापक्ष के द्वारा एजेंसी की नियुक्ति की जावेगी, जिसके माध्यम से भवन का सम्पूर्ण मेन्टेनेंस किया जावेगा, एवं मेन्टेनेंस एजेंसी के पास सभी प्रकोष्ठ धारियों को निर्धारित मेन्टेनेंस का आकार प्रतिमाह नियमित रूप से जमा करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकोष्ठधारी के द्वारा मेन्टेनेंस अदा करने में अनियमितता करने पर ऐसी अनियमित एवं चूककर्ता प्रकोष्ठधारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का अधिकार अधिकृत मेन्टेनेंस एजेंसी को होगा। अधिकृत मेन्टेनेंस एजेंसी पर सम्पूर्ण नियंत्रण विक्रेतापक्ष का रहेगा, एवं इनके नियंत्रण में ही एजेंसी कार्य करेगी।

13. यह कि, यदि भविष्य में बिक्रीत प्रकोष्ठ क्रेतापक्ष के द्वारा किसी भी रीति से अन्तरित या हस्तांतरित किया जाता है या कोई व्यवस्था की जाती है तो उस दशा में क्रेतापक्ष को सदर सम्पत्ति के संबंध में मेन्टेनेंस एजेंसी को देय सभी मेन्टेनेंस चार्जस व संबंधित सरकारी विभागों के सभी ड्यूज को सम्पूर्ण रूप से अदा करना होगा एवं इस संबंध में मेन्टेनेंस एजेंसी से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा एवं उक्त सम्पत्ति में हितग्रहण करने वाले व्यक्ति इस लेख में उल्लेखित शर्तों का पालन करने के लिये बाध्य रहेंगे।

14. यह कि, बिक्रीत सदर संपत्ति विक्रेतापक्ष के स्वामित्व की है। भविष्य में विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से पूर्व के लिये किसी भी प्रकार का विवाद या दोष पाया गया तो उसके निराकरण का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा। इस कारण से आप क्रेतापक्ष को किसी भी प्रकार का खर्च या नुकसानी लगने देवेगे नहीं।

15. यह कि, उक्त चरण 2 में वर्णित सदर सम्पत्ति के संबंध में देय समस्त शासकीय टैक्सेस, नगर निगम का सम्पत्ति कर, मेन्टेनेंस सोसायटी के ड्यूज म.प्र. विद्युत मण्डल के ड्यूज एवं नगर निगम का जल शुल्क एवं संबंधित विभागों के समस्त बकाया ड्यूज तथा नगर निगम का आनुपातिक लीजरेंट आदि जो भी हो को विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक तक के लिये अदा करने का दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा एवं इसके पश्चात उक्त सम्पत्ति के संबंध में होने वाले समस्त दायित्वों को निर्वाह करने की जवाबदारी क्रेतापक्ष की रहेगी।

16. यह कि, 'शेखर सेन्ट्रल' SHEKHAR CENTRAL हाईराईज भवन के लिये मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

अधिनियम 2000 के सभी प्रावधान मान्य एवं लागू होंगे।

17. यह कि, प्रकोष्ठ स्वामी/प्रकोष्ठधारी या उनके स्वत्वाहिता

बिक्रीत प्रकोष्ठ में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगे, जो शारन की नीति एवं लोकनीति एवं जनसामान्य के हितों के विपरीत हो तथा बिक्रीत भाग में ऐसा कोई संग्रहण नहीं करेगे, जिससे भवन को एवं भवन के अन्य प्रकोष्ठ धारियों के तथा भवन में आने वाले आगन्तुक के जीवन को कोई खतर उत्पन्न ही तथा बिक्रीत भाग में ऐसी कोई मशीनरी भी स्थापित नहीं करेगे, जिससे कि काफी शोर उत्पन्न होकर भवन की दृढ़ता व सुन्दरता को क्षति पहुँचाती हो।

18. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ के स्वामित्व बाबू आप केतापक्ष अपना नामान्तरण संबंधित विभागों में एवं नगर निगम के सम्पत्ति कर विभागों के अधिनेष्ठों में स्वयं के व्यय से करवा सकेंगे, एवं ऐसी राष्ट्रीय कार्यवाहियों में विकेतापक्ष के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

19. यह कि, उक्त बिक्रीत प्रकोष्ठों को केतापक्ष किसी भी वित्तीस संस्था, वैक व विभागीय वित्तीय कार्यालय आदि में बंधक रखकर कर्ज प्राप्त कर सकते हैं।


20. यह कि, भवन के प्रकोष्ठ स्वामियों को भवन के मुख्य फ़ान्ट एलीवेशन पर किसी भी प्रकार का अपने नाम एवं व्यवसाय का कोई साईन बोर्ड, एडवर्टाइजिंग बोर्ड, कमर्शियल बोर्ड, बेनर लगाने का अधिकार नहीं रहेगा एवं सभी प्रकोष्ठ स्वामी भवन के बाहर डिसप्ले बोर्ड पर अपने व्यय से अपने नाम एवं व्यवसाय का साईन बोर्ड अंकित कर सकेंगे।

21. यह कि, विकेतापक्ष ने केतापक्ष को सदर सम्पत्ति के मालकी के सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ केतापक्ष को दे दी है एवं केतापक्ष ने इन दस्तावेजों का विधिक परीक्षण एवं भवन निर्माण का तकनीकी निरीक्षण करवाकर अपनी संतुष्टि करने के पश्चात ही उक्त सम्पत्ति क्रय की है।

22. यह कि, इस विक्रय विलेख में प्रयुक्त संबोधन विकेतापक्ष एवं केतापक्ष में एतद द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, स्वतत्व गृहिता, हितग्रहिता, उत्तरजीवी, समानुदेषित असाईनी, नमिनी, कानूनी प्रतिनिधि स्थानान्तरण स्वहत्वार्पण प्राप्त कर्तागण, प्रबंधक, व्यवस्था कर्तागण, डायरेक्टर, निष्पाट कागण आदि का समावेश है और यह विक्रय विलेख व इसकी समस्त शर्तें इन सभी पर समान रूप से बंधनकारक रहेंगी।

यह विक्रय विलेख विकेतापक्ष एवं केतापक्ष द्वारा ई-पंजीयन हेतु सेवाप्रदाता को उपलब्ध कराये गये यह विक्रय विलेख को विकेतापक्ष एवं केतापक्ष ने आदि से दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया होकर इस विक्रय विलेख को विकेतापक्ष एवं केतापक्ष ने आदि से अंत तक पढ़कर, सुनकर, समझकर, स्वेच्छा से, शरीर व मन की पूर्ण स्वस्थ अवस्था में साक्षीणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर पंजीयत करा दिया, सो सही आवश्यकता पर काम आये। इति, इन्दौर

उभयपक्षों के निर्देशानुसार एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर यह लेख मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया है जिसे उभयपक्षों ने विलेख के निष्पादन के द्वारा स्वीकार किया है। शरद कुमार विसपुते एडव्होकेट 205, स्टारलिट टॉवर 29, वाय.एन.रोड, इंदौर मोबान् 9827039787





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मेरे हम दस्तावेज के सभी पृष्ठों के चिह्नां एवं वर्णनों को, दस्तावेज का आईडी 5457316 तथा ई-स्टाम्प नंबर 01011715052017004778 सहित, एवं दारा अधिकारित एवं सुनिश्चित हस्ताक्षरों में
इस दस्तावेज को नियमित भी करते हैं।

अन्य प्रकार/ प्रकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा दिता का नाम

चौराज बाल रामचंद्र दासन दिता का नाम

For, CHARANCHEELA ADVISORY PVT. LTD.

Chauraj Dasan
DIRECTOR

द्वितीय प्रकार/ प्रकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा दिता का नाम

दीपक नंदनाथ दासन दिता का नाम



अन्य प्रकार/ प्रकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा दिता का नाम

ABHISHEK Banswal
घराने 1 का नाम S/o Late Shri S.L. Banswal
पता 233 Jawahar Colony Indore
हस्ताक्षर *Ayush*
आईडी का टाइप तथा नम्बर

Driving Lic : MP04/0919121/05

YASH JAIN
घराने 2 का नाम S/o KAMLESH JAIN
पता 165, Vindhya Chal Nagar
हस्ताक्षर *Yash*
आईडी का टाइप तथा नम्बर



Driving Lic : MP09N-2007-0682177






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश



MP179132017A1244714 | 01011715052017004778



मध्य प्रदेश राज्य प्रादेश

369917

रु. 64,521/-

तारीख नंबर : 63
रटाम्प दस्यूटी रु. 27,100/-

वाकिंग लीज आकार रूपये 64,521/- अपरेट प्राईज ल. निल लीज अधिकारी
भूमि का वार्षिक अनुबंध दोष
भूमि का वार्षिक अनुबंध दोष

वाकिंग लीज आकार रूपये 64,521/- अपरेट प्राईज ल. निल लीज अधिकारी
30.09.2020 तक की सम्यावधि हेतु वार्षिक लीज का जागांतरण अवृवध लेख

प्रश्ना पक्ष - लीज गस्ता

श्री नानाशीला चाहाइजाई प्राप्ति निवासन स्थि. नं. ३०६
जुगराजारह थूर्वशी निवासी १०५ एप्पर एक्स्ट्रा नं. ५८, फूलीर ग.प. लोज गांव का जागांतरण कर देने

प्रश्ना पक्ष - लोज दाता

नगर पालिका निगम, फूलीर के ओपरेट प्राईज,
जगर शिवडा नं. जायुवत, जगर पालिका निगम, फूलीर

भूमि का लीज जागांतरण करताने वाले श्री चाहाइजाई प्राप्ति निवासन स्थि.
जुगराजारह थूर्वशी निवासी १०५ एप्पर एक्स्ट्रा नं. ५८, फूलीर ग.प. लोज गांव का जागांतरण कर देने
वाले जगर पालिका निगम के अधिकृत प्रतिनिधि जगर शिवडा तक आयुक्त नगर पालिका निगम, फूलीर के
पक्ष मे लेख देता है कि :-

नगर पालिका निगम ल. १११७


वार्षिक आयुक्त,

जगर पालिका निगम, फूलीर

For CHARANSHEELA ADVISORY PVT. LTD.

Director

Director



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

714016

यह कि पुर्व में इन्डौर नगर सुधार व्यास द्वारा भनोरमा गंज का ब्लॉक न. । प्लाट न. । की

140263 वर्गफुट भूमि श्री अब्दुल भाई पिता बुद्धभई को वार्षिक लीज पर आनंदित जी गई थी।


यह कि मूल लेसी श्री अब्दुल भाई पिता बुद्ध भाई द्वारा उक्त ब्लॉक श्री हेमचन्द्र डे एवं चन्द्रनारायण नागू को वर्ष 1943 में विक्रय किया जया था। श्री चन्द्रनारायण नागू द्वारा अपना भाग श्री हेमचन्द्र डे को वर्ष 1944 में विक्रय कर दिया।

यह कि श्री हेमचन्द्र डे द्वारा रजि. वक्षीक पत्र के माध्याम से सम्पूर्ण ब्लॉक अपने पुत्र श्री कुमार द्वारा डे को अंतरित किना।

यह कि श्री सन्तोष कुमार डे को मृत्यु पश्चात् भूमि के रामी पुत्री सुश्री पूर्णिमा एवं शर्मिला डे तथा पुत्र श्री देवशीष डे हुए। इनके द्वारा सम्पूर्ण भूमि में से 64521 वर्गफुट भूमि वरणशीला एडगाइजरी प्रा.ति. डायेक्टर श्री कैलाश पिता जुगराजसिंह रघुवंशी को पंजीयन क्रमांक 6116 दिनांक 23.02.2007 से विक्रय की गई।

यह कि मे. वरणशीला एडगाइजरी प्रा.ति. डायेक्टर श्री कैलाश पिता जुगराजसिंह रघुवंशी का लीड नामांतरण या आवेदन आने से जाफिर सूचना टेक्निक रागाचारपत्र (1) चौथा संस्कार (2) टेक्निक रहदेश टि. 14.06.07 को प्रकाशित की गई रागाचारपत्र में किसी प्रकार की दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं है।

यह कि नवीन लीज जीति निधारण के नगर पालिका निगम प्रत्ताय रु. 10/- दि. 11.09.06 के क्रम में मेयर इन कोरिल संकल्प क्रमांक 602 दिनांक 17.09.07 से आवेदन के नाम नामांतरण अनुबंधनगर नियमक लेख लिखवाने की स्वीकृति प्रदान की गई।



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

752897

(3)

यह कि जामांतरण हेतु बिन्बानुसार राशि निर्धारित की गई :-

(1) वार्षिक लीज :-

1/- प्रति वर्षफुट के मान से 64521 वर्षफुट भवि पर
64,521/- वार्षिक लीज निर्धारण कर वर्ष 2007-08
की लीज संग्रह करये

(2) अन्तरण शुल्क :-

अवैदन के समय प्रचलित कलेक्टर गार्ड लाइन वर्ष
2006-07 अनुसार अपरोट प्राइंज का 3 % आकार

64,521/-

30,00,000/-

(3) अर्थदण्ड :-

घोर स्पस्स स्वीकृति के क्रम/विक्रम किए होने से
कलेक्टर गार्ड लाइन का 1 % आकार

10,19,363/-

41,42,053/-

यह कि आवेदक ने लीज जागातरण के सम्बन्ध उक्त शुल्क पादती क्र. 119184, 119185,
119186, 119187, 119188, 119189 दि. 08.06.06 द्वाया जमा कराये गये।

जामांतरण की जा रही भूमि की बदुर्दीमा बिन्बानुसार दे :-

पूर्व - गढ़ी

पश्चिम - द. वी. घोड़

उत्तर - देवाव देशनल फैक

दक्षिण - साढ़ी लोट्टरी

उपरोक्त बदुर्दीमा के दीच की 64521 वर्षफुट तल भूमि का वार्षिक लीज अवैदन में ग्रहण
कोसिल की त्वीकृति अनुसार रुपये 64,521/- अक्षरों में दीतठ सजार पृष्ठ से इक्ष्योंस नाम दिया गया।


For CHARANDHEERA ADVISORY LTD.

[Signature]
Director

[Signature]

मनो शिल्पज

दास्ते वालुक,



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

(4)

752898

वार्षिक लीज भूमि बाबद नीचे लिखी शर्तें लीज ग्रहिता को स्वीकार हैं :-

01. सदर भूमि का वार्षिक लीज आकार रुपये 64,521/- (अक्षरी चौसठ हजार पाँच सौ इक्षण) मात्र) हर वर्ष अग्रीम अर्थात् वर्ष शुरू रोते ही जल्दा चरते जायेंगे व किराया अदा करने में त्रुटि रहेगा नहीं। यह कि, किरायादारी अग्रीजी माह की पहली तारीख से प्रारंभ हुई जानी जाएगी।
02. लीज पर जो भूमि है, उससे अधिक भूमि पर किसी किस्म का अतिक्रमण करेंगे नहीं। यदि लीज भूमि से अधिक भूमि भेरे पास पाई गई तो नगर पालिक उसे वापस ले लेंगे और यदि नगर पालिक निगम धारे तो उस भूमि का अपनी मर्जी अनुसार भुक्ति से पृथक् रो वार्षिक लोन वसूल कर सकती है। तथा उस पर से मुझे बेटखल कर जो कुछ जुर्माना करना चाहे वह भी कर सकती है।
03. सदर भूमि जो कि दिनांक 30.09.2029 तक की लीज पर दी गई है, उस पर कोई भी निर्माण कार्य नगर पालिक निगम की अनुमति दिना करेंगे नहीं तो और यदि निजा तो तरंगते निकालने का अधिकार नगर पालिक निगम को देंगा।
04. नगर पालिक निगम या शाराल की ओर सदर भूमि जब कभी भी काम या उपयोग के लिए वापस लेने को देता तो यद्यना मिलते ही भूमि नगर पालिक निगम के सुपुर्त कर दु़गा।

For CHARANCHINI PROPERTY LTD.

[Signature]
Director

[Signature]
Director

[Signature]

नगर पालिक

वात्तो आयुक्त,

नगर पालिक निगम, इन्हौर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

(5)

A 839229

05. नगर पालिक निगम की पूर्व अनुमति दिया २०२२ भूमि। जिसी वो रेचने/प्रियंका रत्ने ना बातिंह। नगर पालिक निगम की पूर्व अनुमति दिया २०२२ भूमि। जिसी वो रेचने/प्रियंका रत्ने का से टेने का अधिकार मुझे नहीं है। वहाँ जुन्मति हस्तांतरित की गई भूमि वापर टेने का अधिकार नगर पालिक निगम को होगा। उसकी जवाबदारी मुझ पर ही रहेगी। यदि सटर भूमि पर निर्मित मकान मुझे बिक्री करना हुआ तो इस हेतु मैं निगम की पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही मकान बेच सकुंगा।

06. लीज पर ली गई इस भूमि का जो किराया नगर पालिक निगम समय - समय पर तथ करेगा, वह किराया व किराये के रेट्स मुझ पर बंधनकारक रहेंगे। सायं ही भविष्य गी करेगा, लीज सम्बंधी जो भी नीति तय की जावेगी, वह मुझे मान्य होगी। निगम द्वाया लीज सम्बंधी जो भी नीति तय की जावेगी, वह मुझे मान्य होगी।

07. सटर भूमि दो कि मुझे दिनांक 30.09.2029 तक की लीज पर दी गई है। उस पर उन्हें जो भी निर्माण कार्य करना होगा, वह मैं निगम की पूर्व अनुमति प्राप्त करके कुरुंगा। यदि दुक्कम के लिए फिर किसी किस्म का कार्य मेरे द्वारा किया गया तो उसकी जवाबदारी मुझ पर ही रहेगी, नगर पालिक निगम अवैध निर्माण तोड़ने हेतु सक्षम होगा।

08. सटर भूमि द्वाया इस पर बने हुए इमले पर फिलहाल जो भी टेक्सेस देय हैं, वे अद्यादा भार्येव्य मेरे यदि और भी अन्य टेक्सेस आरोपित किये गये तो ऐसे समस्त टेक्सेस का भुगतान मेरे द्वारा किया जारेगा।


बाबासाहेब डॉ ब. र. अमेदकर




मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

(6)

A 539210

9. किरायेदारी समात करने अथवा भूमि आली करवानेके लिए दोनों पक्षों का एक-दूसरे ने भूमि तीन म.ड. का बोटिस देना एवं अर्थात् होगा। यदि नगर पालिक निगम की आड़ा होते से उपभोक्ता ने यह भूमि आली करते राजमय निवासित इमाले का बिना मुआवजा दिये भूमि आली समात के अधिकार नगर पालिक निगम को है।
10. सदर लोज भूमि अथवा इस पर बैठे हुए इमाले को बेचे जाने अथवा जायदाद को अल्प उपभोक्ता अन्तरण किये जाने की विधि में लोज पर दी गई इस भूमि के अन्तरण हेतु मैं प्रथम नगर पालिक निगम यो लिखित स्वीकृति पापत करेंगा व ऐसी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् उपभोक्ता लोज भूमि अथवा इस पर बैठे हुए इमाले को राष्ट्रविधि व्यवस्थित अथवा नगर खट्टीदार ने दस्तावेजित करेंगा व उस समय नगर पालिक निगम जो वी प्रतिबंध लगाना चाहे लगाने के लिए सक्षम रहेगी।
11. नगर निगम, इन्डौर भविष्य में लोज नीति सम्बंधी कोई भी नियम/शर्तें लागू कर सकेंगी जो कि मुझे एवं मेरे गरिमो हारा उपरोक्त किरी भी शर्त का उल्लंघन मेरे हारा किसी गम्भीर आयुक्त, नगर पालिक निगम इन्डौर को अधिकार होगा कि वे लोज समात कर भूमि गम्भीर प्राप्त दर लें।

महाराजा राजम, इन्डौर
उपराजा राजम, इन्डौर



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

1-1

□ 425638

अतः दिनांक 30.09.2029 तक की अपाधि के लिए भुमि दाखिला दिया जाना चाहिए।

(लीज-डीड) मैंने मेरी राजी-युश्मी से व अकल होशिं
होश-हवास भें द द्वरय हातत में लिख दिया सो रही

दिन रात्रि दिल्ली ५८. ११. ०

प्राचीन

११. हस्ता: २

नाम रमेश कुमार मिश्र ५३६८०१६

पता ज्ञान-विद्या-संस्कृति-संस्था -

28

Directo

02. हस्ता.


23. 6. 2017 २१३८०५ ४७९५८

234 4NRIOT YNTY-111

2-19

नगर निगम आयुक्त द्वारा आदेश क्रमांक ९७ टि
लीज अनुबंध निष्पाटित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

मेरी शिल्पनगर मेरी नगर शिल्पज तर्फ आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्डोर वारोका शहर में स्थित है। यह मुख्य रूपीकार है; सदर लीज़-डीड या ब्राह्मण उप उकान निगम कार्यालय है। यह दोनों



9	Hyd Cylinder	1
8	Flow Control	1
7	Visual Gauge Indicator	1
6	Pr. Relief Valve	1
5	Manifold	1
4	Suction Pipe	1
3	Gear Pump 5 lpm	1
2	Gear Coupling	1
1	Electric Motor 3.0 H.P. 3PH. 230V AC	1
SR. NO.		QTY.


GENIUS ENGINEERING PVT. LTD		WT - (Kg)	UNIT	MATERIAL
Hydraulic Circuit For Tyre Unloading Conveyor		M.M.	N.T.S.	APPD BY
ALL DIMENSIONS ARE IN M.M.		REMOVE SHARP EDGES & CORNES	SCALE	Y.B.
LINEAR TOLERANCES OTHERWISE SPECIFIED		FINISH	CHD BY	Y.B.
OVER	O	±0.30	±0.40	DRN BY
TD	5	±0.30	±0.40	R. SONI
±0.10		±0.20	±0.30	DATE
ANGULAR TOLERANCES OTHERWISE SPECIFIED		SURFACE ROUGHNESS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		21.12.2017
LENGTH		MACHINING		Y.B.
OVER 130° 8° 10° 30° 10° 15° 10° 10° 10°		GRINDING		REV. RO
DRG. NO. GE/TUC/HC/20		SHEET		1 OF 1
		6		7
				A4

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय इन्दौर

क्रमांक / 5916 / नवानि / 523/08

इन्दौर, दिनांक

25/10/08



विषय : स्लॉट क्रमांक 3 एवं 4, ब्लॉक नंबर 1, ए.बी. रोड, मनोरमागंज, इन्दौर कुल रकम 0.5026 हेक्टर भूमि पर व्यवसायिक एवं कार्यालय भवन हेतु हाई राईज भवन का स्थल अनुमोदन किये जाने वालत।

संदर्भ : 1. आवेदक का आवेदन आवक क्र. 3178 दिनांक 27/8/08
2. हाई राईज कमेटी की बैठक दिनांक 01.09.2008 का कार्यवाही विवरण दिनांक 23.09.08

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदक श्री चरणशीला एडवाइजरी प्रा.लि., डायरेक्टर-श्री कैलाश रघुदंशी एवं अन्य, 105/एफ.एच. स्कीम नं. 54, इंदौर के स्लॉट नंबर 3 एवं 4, ब्लॉक नंबर 1, ए.बी. रोड, मनोरमागंज, इन्दौर कुल रकम 0.5026 हेक्टर भूमि पर 3 मीटर ऊंचे भवन के निर्माण हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17(1) में निर्धारित प्राकृति में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नियोजन अनुज्ञा हेतु आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है :-

1. नियम 17(1) में आवेदन।
2. रसीद क्रमांक 52, 7099 दिनांक 13/10/08 राशि रूपये 500/- रुपये
3. दी-2, बी-1 की प्रमाणित प्रति वर्ष 200.....
4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति
5. रास्थ पत्र
6. क्रृपण पुस्तिका
7. अभिन्यास/रूपांकन मानचित्र

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नाधीन स्थल का सहायक मानचित्रकार के द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें रथल रिक्त होना पाया गया है। स्थल के पश्चिम दिशा में 60 मीटर ऊंचे रोड तथा पीछे सर्विस मार्ग है, इप मार्गों से स्थल को पहुंच प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार प्रश्नाधीन स्थल का इन्दौर विकास योजना में भूमि उपयोग वाणिज्यिक, आवासीय एवं मार्ग (ए. बी. रोड 600 मीटर) निर्दिष्ट है एवं वार्षिक प्रयोजन विकास योजना को सरणी 6.22 के अनुक्रमांक 73 के अनुसार होने के कारण स्वीकृत गतिविधि हैं।

चूंकि आवेदक प्रश्नाधीन स्थल पर 36.00 मीटर ऊंचे भवनों का निर्माण करना चाहता है एवं प्रश्नाधीन स्थल इस हेतु सारणी क्र. 6.08 प्रावधानों की पूर्ति करता है। इस कारण प्रकरण ऊंचे भवनों के निर्माण के स्थल अनुमोदन के सम्बन्ध में म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 14(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत मार्गित समिति की बैठक दिनांक 01.09.08 में प्रस्तुत किया गया। हाई राईज समिति द्वारा निम्न शर्तों पर प्रश्नाधीन स्थल का स्थल अनुमोदित किया गया।

Point No-9
Highrise

आवेदक को प्रस्तावित भवन के चारों ओर 6 मीटर रखाने फायर बिग्रेड मूवमेट हेतु खुला छोड़ना होगा।
6 मीटर चौड़े क्षेत्र में ट्रांसफार्मर तथा अन्य किसी प्रकार का अवरोधकृपी निर्माण गान्धी नहीं होगा।

- (2) वैश्विक में जाने हेतु रेस्प का निर्माण फायर बिग्रेड हेतु आरक्षित मूवमेट स्पेस में नहीं किया जावेगा।
(3) संस्थाएँ को एस.टी.पी. लगाना होगा।
(4) संस्थाएँ की नियमानुसार बाटर हार्डिंग की उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।
(5) संस्थाएँ की परिसर के अंदर तथा आसपास सरफेस बॉटर के निकास हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी।
(6) संस्थाएँ को म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार नियम 1984 के प्रावधानों के अनुगत होगी।
- * अधिकारी फाइटिंग हेतु फायर अर्थोरिटी को समुचित सुविधा, उपकरण/मशीन उपलब्ध कराने हेतु सहयोग नगर नियम द्वारा भवन अनुज्ञा प्रदान की जावे।
- (8) आवेदक को नगर तथा ग्राम निवेश के समक्ष इन्दौर नगर नियम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रश्नाधीन भूखण्ड में भूखण्डों का संयुक्तिकरण नहीं हो रहा एवं यह एक भूखण्ड है। नगर नियम 1984 के प्रश्नाधीन भूखण्ड की पुष्टि की जावेगी कि भूखण्ड का संयुक्तिकरण नहीं हो रहा है। तथा ग्राम निवेश द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की जावेगी कि भूखण्ड का संयुक्तिकरण नहीं हो रहा है।

इस सम्बन्ध में परीक्षण किया गया। कार्यालय में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (3) अंतर्गत स्वीकृत वैघ अभिन्यास नहीं पाया गया। नगर पालिका नियम द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि प्रश्नाधीन स्थल एक ही प्लाट है और यह कि यह प्लाट नगर पालिका नियम द्वारा ही आवेदक को आवंटित किया गया है।

(9) प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्शन वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु कराना होंगा।

प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विकास योजना 2021 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों, स्थल के समक्ष उपलब्ध मार्ग संरचना तकों दृष्टिगत रख तथा उंचे भवनों हेतु समिति की अनुशंसा के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (3) सह पठित म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नाधीन स्थल पर 24.60 मीटर उंचे भवन के निर्माण हेतु नियोजन अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।
1. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
 2. म.प्र. नगर पालिका नियम (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) 1998
 3. अन्य किसी निकायों/अधिनियमों के अंतर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
 4. इन्दौर विकास प्राधिकरण।
 5. नजूल अधिकारी
2. प्रश्नाधीन स्थल पर नियोजन मापदण्ड इस प्रकार रहेंगे :-
- अ. ग्राउण्ड कवरेज 30 प्रतिशत अधिकतम
 - ब. एफ.ए.आर 1:2.00 अधिकतम
 - ग. एम.ओ.एस. निम्नानुसार रहेंगे
 1. सामने उत्तर दिशा में 18.0 मीटर
 2. दक्षिण दिशा में 9.0 मीटर
 3. पूर्व दिशा में 9.0 मीटर
 4. पश्चिम दिशा में 9.0 मीटर
 5. भवन की ऊँचाई 36.0 मीटर
 ८. पार्किंग - एक कार प्रति 100 वर्गमीटर आवासीय निर्मित क्षेत्र की दर से 106 कार तथा इसके अतिरिक्त दो पहिया पार्किंग वाहनों हेतु नियम-81 के प्रावधानों के अनुसार

मुनिगम कार्यालय

न्युनतम स्थान आरक्षित रखना होगा तथा इस संबंध में इन्दौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा ।

3. पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल सिंचान इनेज आदि का विकास स्थानीय संस्था की देखरेख में स्वयं आवेदक को करना होगा ।
4. उपरोक्त प्रावधानों के तहत भवन के आंतरिक प्रस्ताव स्थानीय निकाय से स्वीकृत कराने के उपरांत ही पूर्ण पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा । साथ ही, स्थल अनुमोदन समिति की समस्त शर्तों का पूरण करना अनिवार्य होगा ।
5. म.प्र. नगर पालिका निगम (कालोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्बंधन तथा शर्तों नियम 1998 एवं अन्य प्रचलित नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत कोई अनुज्ञा/अनुशंसित प्राप्त करना आवश्यक हो तो उस स्थल पर विकास/निर्माण के पूर्व आवेदक को प्राप्त करना होगा ।
6. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा तीन (3) वर्ष की समयावधि के लिए प्रदत्त रहेगी ।
7. स्थल पर अनुमोदित मानवित्र तथा उससे सम्बन्धी जानकारी 1.5 मीटर गुणा 1.2 मीटर साईज के बोर्ड पर एक माह की अवधि में अंकित कर स्थापित करना अनिवार्य होगा ।
8. अनुमोदित मानवित्र की एक सत्यापित प्रति भय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा ।
9. पेट हाऊस के नाम से किसी प्रकार के रहवासी/स्टोरेज क्षेत्र का निर्माण प्रतिबंधित होगा ।
10. भवन का निर्माण भूकम्प अवरोधी तकनीकी के अनुसार किया जावे ।
11. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात ही भू-खण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा ।
12. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी एवं इसे भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
13. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार एवं वन मंत्रालय म.प्र. प्रदूषण निवारण बोर्ड से कोई अनुमति/अनापत्ति/ अनुज्ञा आवश्यक हो तो उसे आवेदक/कालोनाईजर को प्राप्त करना होगा ।
14. म. प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31, 33, 52 तथा अन्य सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण के सम्बन्ध में म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 65 से 89 (यथा लागू) के साथ-साथ सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
15. बिजली के ट्रांसफार्मर एम.ओ.एस. में स्थापित नहीं किया जा सकेंगे ।
16. नगर निगम से बल्क कनेक्शन प्राप्त करना होगा, इसके लिये कार्यपालन यंत्री, जल यंत्रालय नगर निगम से अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
17. भवन में एस.टी.पी./री. साईक्लिंग प्लांट लगाना अनिवार्य होगा, तथा यह प्लांट सबसे नीचे वाले वेसमेंट में निर्मित नहीं किया जावेगा तथा इस प्रकार निर्मित किया जावेगा कि उसका ओवर फलों पास की सार्वजनिक सिवेस लाईन में नगर पालिक निगम की सहमति से छोड़ा जा सके ।
18. प्रत्येक तल पर पृथक-पृथक प्रकार के कचरे रखने के स्थान आरक्षित रखते हुए भू-तल पर पृथक-पृथक घर बड़े रूप में ऐसे स्थान पर बनाने होंगे कि नगर निगम वाहन द्वारा आसानी से कचरा उठाया जा सके ।
19. सीवर सिस्टम के लिये मुख्य भवन से मुख्य इनेज लाईन तक स्वयं के व्यय से नगर निगम के इनेज विभाग के निर्देशानुसार कनेक्शन मिलाना होगा ।
20. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली अपनानी होगी ।

(8)

(10)

जगर पालिक निगम, इन्दौर

(भवन निर्माण अनुदान याचिका)

फाईल नं. ६४६०

भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र

(भूमि विवरण निम्न १९८५/८६ के विवरण समेत २७ के अधीन)

भवन अनुदान/उपयोग

दिनांक १६-४-१०

कृष्णमला सड़काइजरी प्रा. लि. टर्क डायरेक्टर-श्री कैला चौहान पिता जुगराजसिंह
वृत्तिशील सर्व क्री गुप्तीर पिता कामताप्रसाद उपाध्याय,
ठाकुर नं. १६, एवं २५ प्रासादपुरांजु, ए.बी. रोड, इन्दौर

१०५, एफ. एच., स्कॉम नं. ५४, इन्दौर

वर्ष ५ प्रासादपुरांजु, एवं २५ पुरांजु, बालाक. नं. १६ मनोरभाबंज, ए.बी. रोड, इन्दौर में पूर्वी

भवन के विवरण निम्नांक हेतु स्वीकृति के लिये आपके अधेन इन्दौर १००४२२ हवानक ६-४-१० के संदर्भ में आपकी सुविधा हो।
मैं आपके विवरण के अनुसार आपके लिये आपके लिये आपके अधेन इन्दौर के नं. क्रमांक १००४२२ हवानक ६-४-१० के संदर्भ में आपकी सुविधा हो। अनुसार स्वीकृति अभिन्नास एवं उपर्युक्त विवरणियों द्वारा दी गयी उपलब्धियों के तहत लाल रंग से किये गये संशोधन अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जगर अनुमति यह भवन के साथ प्रवर्त्तुत भवन स्थाप्ना/भू स्थाप्नी तथा वार्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ प्रति, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर हो गई है औ स्वीकृति का कुल आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पर एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जावेदारी आवेदन की दीर्घ विधि द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति दिनांक ६-४-२०१३ के गुरुवियों द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति की जावेदारी होगी।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा निगम द्वारा दी गयी है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है। अय स्वीकृति में विवरण आवेदन पर हो गया माना जावेगा कि उक्त वार्तुविद की दीर्घ विधि द्वारा संभव हो गयी है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

प्राप्ति के विवरण यह है कि आपके द्वारा दी गयी अनुबंध पत्र अप्रैल द्वारा दी गयी है। इस स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य है।

अधिक जावेदारी के लिये विवरण दें।

- भूमि विकास नियम 1984 के नियम 83 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा तथा संदेश प्राधिकारी अग्निशमन से आवश्यक प्रभाषण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
22. भवन में निर्माण भूकम्प अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी प्रकार की डिजाइन फाल्ट एवं स्वीकृति के विपरीत निर्माण की अवस्था में संभावित हानि समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
23. भूमि अंदर प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करना सुनिश्चित करना होगा।
24. ए.ए.आर. से छूट प्राप्त होने वाली सर्विसेस एरिया में किसी प्रकार की कोई रहवासी/व्यवसायिक गतिविधियों संचालित नहीं की जा सकेगी।
25. भवन में अग्नि प्रतिरोधक भट्टरियल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
26. भवन के आसपास 100 बीटर के क्षेत्र में यातायात किसी भी स्थिति में अवरुद्ध नहीं हो इस बाबत समस्त व्यवस्था डी.एस.पी. ट्राफिक की सहमति/परामर्श से स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित करनी होगी।
27. भ.प्र. नगर पालिका निगम (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्त) नियम 1998 संशोधित नियम 3 जुलाई 2000/म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार कमज़ोर आय वर्ग के लिये नियमानुसार आश्रय शुल्क जमा कराना होगा।
28. परिसर में से वर्षा अथवा अन्य किसी प्रकार का जल आसपास की सड़कों पर प्रवाहित न हो इस बाबत समुदित उपाय रेन वाटर हार्डस्टिंग के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। काम्पलेक्स में निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्रीन बेल्ट विकसित करना अनिवार्य होगा।
29. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 96 के तहत कुर्सी तल का प्रभाण पत्र नियम 97 के तहत स्तरिंस प्रभाषण-पत्र एवं औद्योगिक प्रभाण-पत्र तथा नियम 98 के तहत भवन पूर्णतः को प्रभाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।
30. बेसमेंट निर्माण में एन.बी.सी. तथा भूमि विकास नियम 1984 के नियम 73 का पूर्णतः पालन करना होगा। इस अनुज्ञा के कारण, इस स्थल पर पुर्व में जारी की गई समस्त अनुज्ञाएँ अस्तित्व में नहीं रहेंगी।
31. यदि अन्य विषागों/अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक आपत्तियों/अनुनतियों के कारण अभिन्यास में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस बाबत अभिन्यास पुनः अनुमोदित कराना होगा।
32. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी अस्त्वय पाए जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रति संहित (रिव्होक) कर दी जावेगी।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला इन्दौर

पृ. क्रमांक / . / नगरानि / 523/08

इन्दौर, दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर जिला इन्दौर

3. आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहो हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
5. शिक्षण कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेगित।
6. बहुसंसाधन संसाधन संसाधन अधिकारी, जिला इन्दौर
7. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर
8. उपर्युक्त अधिकारी इंजीनियर, एम.पी.इ.बी., इन्दौर

संस्कृत प्रत्येक के साथ एक मानचित्र ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला इन्दौर

कार्यालय संघरण

मिमांगा अनुद्गा शाखा।

पत्र प्रमाण - पत्र

(पत्र का नंबर 27 के अधीन।)

फाईल नं. 6880

=====

उपरोक्त घटना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

कार्यालय संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर

४८ / नग्रानि / 2012

इन्दौर, दिनांक 19.6.2012

प्रति

✓ चरणशीला एडवाईजरी।

तर्फ़ डायरेक्टर श्री कैलाश रघुवंशी व अन्य
105, एच. एफ., स्कीम नंबर 54, इन्दौर

दिवाय : भूखण्ड क्रमांक 4 एवं 5 ब्लॉक नंबर 1, ए. बी. रोड, मनोरमागंज, इन्दौर कुल रक्कम 0.5016
हेक्टेयर भूमि पर व्यवसायीक एवं कार्यालय भवन हेतु हाईराईज स्थल अनुमोदन बाबद।

दावार्थ : आपका पत्र दिनांक 08/05/2012.

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र के विषय में लेख है कि, भूखण्ड क्रमांक 3 एवं 4
ब्लॉक नंबर 1, ए. बी. रोड, मनोरमागंज, इन्दौर पर कार्यालयीन पत्र क्र. 5916 दिनांक
25/10/2008 द्वारा हाईराईज स्थल अनुमोदन किया गया था। जिसमें टंकण त्रुटिवश
भूखण्ड क्रमांक 3 व 4 टंकण हुआ है।

अतः त्रुटिसुधार करते हुए भूखण्ड क्रमांक 3 व 4 के स्थान पर 4 व 5 पट्टा जावे।

संयुक्त संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला कार्यालय, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक

पुक्र / नग्रानि / 2012

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधिकारी, जिला इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
7. अधिक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
8. संभागीय इंजिनियर, एम.पी.ई.वी., इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
9. अग्निशमन प्राधिकारी, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, इन्दौर

NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
 - Structural Engineers
 - Chartered Engineer
 - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

Valuation Report

Date 02/01/2021

NAME OF BANK	State Bank Of India, State Bank Of India, State Bank Of India, Industrial Finance Branch , Y. N. Road , Indore (MP)
PROPERTY	It's a Commercial office
LOCATION AT	Office No. -803 , Eighth floor , Shekhar Central at Plot No. -04 , 05 , Block Part of Plot No. -01, Manoramaganj , Indore (MP)
OWNER NAME	Owner:-Mr. Deepak Leelani s/o Mr. Darshan Leelani
FARE MARKET VALUE -Rs	11500000.00
GUIDELINE VALUE -Rs.	8229000.00
REALIZABLE SALE VALUE -Rs.	10350000.00
DISTRESS SALE VALUE -Rs.	9200000.00

NAME & ADDRESS OF VALUATION AGENCY

NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES

S.F.204, Parshvnath Avenue Chikitsak Nagar , Indore (M.P.),
9425091283 , 9179146414

Mobile -

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

ERIN UPADHYAY & ASSOCIATES

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office : S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)



- Architect and Engineer
 - Structural Engineers
 - Chartered Engineer
 - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

VALUATION REPORT (IN RESPECT OF LAND / SITE & BUILDING)

To,
The Chief Manager,
State Bank Of India, Industrial Finance Branch
Y. N. Road, Indore (M.P.)

I. GENERAL:		To Assess Market Value , Value As Per Government Guidelines and Distress Of Forced Sale Value Of The Property For Bank Security Purpose For State Bank Of India.
1	Purpose for which the valuation is made	02/01/2021
2	(a) Date of Inspection	02/01/2021
	(b) Date on which the valuation is made	Registry and approved map
3	List Of documents produced for perusal	Owner:-Mr. Deepak Leelani s/o Mr. Darshan Leelani
4	Name of the legal owner (s) & address with Phone No. (Details of shares of each owner in case of joint ownership)	(Single Ownership) It's a Commercial office
5	Brief description of the property/asset	Office No. -803 , Eighth floor , Shekhar Central at Plot No. -04 , 05 , Block Part of Plot No. -01, Manoramaganj , Indore (MP)
6	Location of the property/asset	Office No. - 803
	a)Plot No. /Survey No.	NA
	b)Door No.	Indore
	c)T.S. No. / Village	Indore
	d)Ward / Taluka	Indore
	e) Mandal / District	Indore
7	Postal Address of the property/asset	Same as above
8	City / Town	Indore
i)	Residential Area	No
ii)	Commercial Area	Yes
iii)	Industrial Area	No
9	Classification of Area	
i)	High/ Middle/ Poor	High Class
ii)	Urban/ Semi Urban/ Rural	Urban
10	Coming under Corporation limit/village Panchayat/Municipality	Municipal Corporation Limit

[Signature]

IN UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
- Structural Engineers
- Chartered Engineer
- Govt. Approved Valuers

(Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

11	Whether covered under any State/Central Govt. enactment (e.g. Urban land ceiling Act) or notified under agency area/ Scheduled area/cantonment area.	No	
12	In case it is an agriculture land, any Conversion to the house /site plots is contemplated/approved		
13	Boundaries of the property :		
	As Per Deed:-	Common Passage	
	East	Open Space	
	West	Office -804	
	North	Office-806	
	South		
	As Per Actual on Site:-	Common Passage	
	East	Open Space	
	West	Office -804	
	North	Office-806	
	South		
14	Dimension of Property	As per Deed-Mt	As per Actual -Mt
	North		
	South		
	East		
	West		
15	Extent of the site	Office Area sq-ft	875.00
16	Extent of the site considered for valuation (Least of 14a & 14b)	Plot Area Sq-m	81.32
17	Whether occupied by the owner/ tenant. If Occupied by the tenant since how long ? Rent received per month	Occupied by tenant (Details provided by owner)	
II. CHARACTERISTICS OF THE SITE :			
1	Classification of Locality	Commercial Area	
2	Development of surrounding areas	Good	
3	Possibility of frequent flooding	NO	
4	Feasibility to to the civic aminities like school , Hospital , Bus stop , Market etc.	All available in 500 m Radius.	
5	Level of land with topographical conditions	Levelled	
6	Shape of land	Regular in Shape	
7	Type of use wchich it can be put	Commercial	
8	Any usage restriction	Commercial	
9	Is plot in Town planning approved layout ?	Yes	
10	Corner plot or intermittent plot	Intrermediated Plot	
11	Road facilities	Available	
12	Type of road available at present	BT Road	

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

**IN UPADHYAY
&
ASSOCIATES**



- Architect and Engineer
- Structural Engineers
- Chartered Engineer
- Govt. Approved Valuers

(Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office : S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

13	Width of road is it below 20' or more then 20'	More than 20'			
14	Is it a Land - Locked Land	No			
15	Water potential	Good			
16	Underground sewerage system	NA			
17	Power supply availability in the site	Yes Available			
18	Advantages of the site	Property is situated on main Road			
1		Location of Property is Good			
2		No			
Part - A (Valuation of Land)					
1	Size Of Plot	875.00		sq-ft	
	North & South				
	East & West				
2	Total Extent of Plot	875.00		/sqm	
3	Prevailing market rate- Rs.	Rs. 12000/-12500/- Take Rs. 12000/- per sq-ft		/sqm	
4	Guideline rate obtained from the Collector's / Register's office	As on date Mkt. Rate for per Unit area of land fetching more/less than the Govt. Enclosed			
	Guideline rate obtained from the Collector's / Register's office (an evidence there of to be enclosed)-	Office Area- sq-ft :-	875.00	Rate	9405.00
		Construction GF			8229375
				Total	8229375.00
				Say Rs.	8229000.00
5	Assessed/ adopted rate of valuation -Rs.	12000.00		/sqm	
6	Estimated value of land - Rs.	10500000.00			

PART - B (Valuation of Building) -

1	Technical details Of building	It's a Commercial office
a	Type of Building (Residential/ Commercial/Industrial)	Commercial
b	Type of construction (Load -Bearing/RCC/Steel framed)	RCC
c	Year of construction	2012 approx

ER UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
- Structural Engineers
- Chartered Engineer
- Govt. Approved Valuers

(Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office : - S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

	10 years
d Future Life	Office at Eighth Floor
e No. of floors & height of each Floor including basement If any.	Office at Eighth Floor
f Plinth Area of the building	Office at Eighth Floor
g Plinth Area Floor-Wise	875.00
* As per Approved Map B/Up	
f Condition of the building	Excellent
i) Exterior- Excellent, Good , Normal Poor	Excellent
ii) Interior - Excellent, Good , Normal Poor	Excellent
g Date of issue And Vlidity of Layout of Approved Man/Plan	Enclosed
h Approved Map/Plan issuing authority	IMC
i Whether genuiness or authenticity of Approved Map/Plan is Verified	Yes
j Any Other Comments by Our Empanelled Valuer on authentic of approved plan	Location of property is good

SPECIFICATION OF CONSTRUCTION (FLOOR WISE) IN RESPECT OF

S. Description	It's a Commercial office
1 Foundation	Column Footing Foundation
2 Super Structure	RCC and Brick wall
3 Basement	Parking
4 Joinery/Doors Windows (please Furnish details About size of Frames, shutters Glazing, fitting Etc & specify the Specials of the Timbers)	Shutter and alluminium Work
5 RCC Work	Col, Beam Room
6 Plastering	Cement Plaster
7 Flooring, Skirting, dadoing	Ceramic Tiles
8 Special finish such as marble, Granite, wooden	yes
9 Roofing i/c Weather proof Course	RCC
10 Drainage	Underground

2 COMPOUND WALL:

Height	1.5m
Length	All around the Building
Type of construction	Brick wall
Condition	Good

3 ELECTRICAL INSTALATIONS

Type of wiring	Conduit
Class of fittings (superior/ordinary/poor)	Supirior

IN UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
 - Structural Engineers
 - Chartered Engineer
 - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 167, Chikitaak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

No. of light points	sufficient
Fan points spare plug	sufficient
Points any other items	-
4 PLUMBING INSTALLATIONS	
a) No. of water closets and their type	1
b) No. of wash basins	1
c) No. of Urinals	1
d) No. of Bath Tubs	NA
e) Water meter Taps etc	NA
f) Any other Fixtures	NA

Valuation Of Building

S. N. o.	Particulars of Items	Plinth Area in Sq-m	Roof Height of Building in Meter	Estimated Replacement cost / sq-m Construction	Repalcement Cost	Depreciation - 0% as Incomplete	Net Value After Depriication
1	Eighth Floor	875.00	3.00	12000.00	10500000.00	0.00	10500000.00
2	Add Extra for Furniture Fixtures				TOTAL- Rs.		1000000.00
							11500000.00

PART C (Extra items)	
01. Portico	Nill
02. Ornamental	Nill
03. Sit out/ Veranda with Steel grills	Nill
04. Overhead water tank (1 KL Cap. Syntax)	Nill
05. Underground tank	Nill
06. Extra steel/ collapsible gates/MS R Shutter	Nill
TOTAL-Rs.	0.00
PART D (amenities)	
01. Wardrobes	Nill
02. Glazed tiles	Nill
03. Extra sink & bath tub	Nill
04. Marble / ceramic tiles flooring (Varanda	Nill
05. Interior decorations/Modular Kitchen	Nill
06. Architectural elevation works	Nill
07. Panelling works	Nill
08. Aluminium works	Nill
09. Aluminium hand rails	Nill
10. False ceiling	Nill
TOTAL-Rs.	0.00
PART E (Miscellaneous)	
1. Separate toilet Room on GF/FF&SF	Nill

N UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
- Structural Engineers
- Chartered Engineer
- Govt. Approved Valuers

(Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office : - S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com

Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

1. Separate lumber Room	Nill
1. Separate water tank /sump	Nill
TOTAL-Rs.	0.00
PART F (Services)	
01. Water supply Arrangements	Nill
02. Drainage arrangements	Nill
03. Compound wall & Site Development	Nill
04. C.B. deposits, fittings etc	Nill
05. Pavement in MOS/Tower &Parapet Wall	Nill
TOTAL-Rs.	0.00

TOTAL ABSTRACT OF THE ENTIRE PROPERTY

PART A	LAND	
Part B	BUILDING - Eighth Floor - Office	11500000.00
Part C	EXTRA ITEM	0.00
Part D	AMENITIES	0.00
Part E	MISLLANEOUS	0.00
Part F	SERVICES	0.00
	TOTAL Rs.	11500000.00
	Say Rs.	11500000.00

Valuation: Here the approved valuer should discuss in detail his approach to valuation of property and indicate

Photograph of owner/representative with property in background to be enclosed.

Screen shot of longitude/latitude and co-ordinates of property using GPS/Various Apps/Internet sites

As a result of my appraisal and analysis it is my considered opinion that the present market value of the above property in the prevelling condition with afford said specifications is

Rs.	11500000.00	(Rs. One Crore Twenty Lakh Twenty Thousand Only)
The Guidline value is Rs.	8229000.00	(Rs. Eighty Two Lakh Twenty Nine Thousand Only)
The Relisable Value is Rs.	10350000.00	(Rs. One Crore Three Lakh Fifty Thousand Only)

The Distress Sale Value is Rs.	9200000.00	(Rs. Ninety Two Lakh Only)
---	-------------------	-----------------------------------

Date	02/01/2021
Place	Indore (MP)
Reg. No.	CAT - I / V -148 ,2006

FOR NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES
ARCHITECT ENGINEER VALUER

Approved
[Signature]

NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
 - Structural Engineers
 - Chartered Engineer
 - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)
Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

e-mail : er_upadhyay@rediffmail.com
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

The undersigned has inspected the property detailed in the valuation report Dated
on

I Have gone Through the Report & am satisfied that the fair & reasonable market

Date 02/01/2021

Signature
(Name of the Branch Manager with Official seal)

Date: Encl:

DECLARATION FROM VALUERS


I here by declare that-

- The Information furnished in my valuation report dated 2-01-2021 is true and correct to the best of my knowledge and belief and I have made an impartial and true valuation of the property
- I have no direct or indirect interest in property valued
- I have personally inspected the property on Dated 02/01/2021
- I Have not been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment

Date 02/01/2021
Place Indore (MP)

FOR NITIN UPADHYAY & ASSOCIATES
ARCHITECT ENGINEER VALUER

Reg. No. CAT – I/V – 148 ,2006



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प फॉर्म

VIN UPADHYAY & ASSOCIATES



- Architect and Engineer
 - Structural Engineers
 - Chartered Engineer
 - Govt. Approved Valuers
- (Under Sec. 34AB of Wealth Tax Act)

Indore Office : Office No. 204, S.F. Harshdeep Avenue, At Plot No. 157, Chikitsak Nagar,
Near Bombay Hospital Choraha, Indore (M.P.)

Ujjain Office :- S.F. 217, Mahakal Terrace, Building No. 7, Shanku Marg, Freeganj, Ujjain (M.P.)

E-mail : er_upadhyay@rediffmail.com
Ph. 0734-4014032 Mob. 9179146414, 9425091283

Photographs Office No. -803 , Eighth floor , Shekhar Central at Plot No. -04 , 05 , Block Part of Plot
No. -01, Manoramaganj , Indore (MP)

Owner:-Mr. Deepak Leelani s/o Mr. Darshan Leelani

B/ To



S.No	Mohalla/Colony/ Society/Road/Village	PLOT (SQM)			BUILDING RESIDENTIAL (SQM)				BUILDING COMMERCIAL (SQM)			BUILDING MULTI(SQM)		AGRICULTURAL LAND(HECTARE)		Plot No.	Sub Cluster wise	Survey wise
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RBC	Tin shade	Kaccha kabelu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Irrigated	Un Irrigated			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1764	SEVA SARDAR NAGAR	24000	36000	24000	36000	31200	29600	28000	49600	49200	48800	20000	40000	240000000	240000000	24000	36000	
1765	SHANTI NAGAR, MANORAMAGANJ	52000	78400	52000	64000	59200	57600	56000	92000	91600	91200	28000	56000	520000000	520000000	52000	78400	
1766	SHEKHAR CENTRE	88000	88000	88000	100000	95200	93600	92000	101600	101200	100800	36800	73600	880000000	880000000	88000	88000	
1767	SHIV MANGAL NAGAR	24000	36000	24000	36000	31200	29600	28000	49600	49200	48800	20000	40000	240000000	240000000	24000	36000	
1768	TIRUPATI NAGAR GRATER	24000	36000	24000	36000	31200	29600	28000	49600	49200	48800	20000	40000	240000000	240000000	24000	36000	